

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

दिनांक:- 02.09.2016

100/16

पीठासीन अधिकारी:- दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

मीठया पुत्र धंधोली

ठण्डी पुत्र धंधोली

समस्त जातियान कोली निवासी बीजलवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(वादी)

बनाम

गुलाब पुत्र बुदया

केदार पुत्र गुलाब

दिनेश पुत्र गुलाब

रूपे पुत्र चन्दरया

गोपाल पुत्र चन्दरया

हुकम पुत्र सूस्या

शिवचरण पुत्र सूस्या

बबलू पुत्र सूस्या

ओमप्रकाश पुत्र सूस्या

चन्द्रवती पुत्री सूस्या

रामकली बेवा सूस्या

जुगलकिशोर पुत्र घीस्या

भरोसी पुत्र घीस्या

रामधन पुत्र घीस्या

समस्त जातियान कोली निवासी बीजलवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली

सहकारी भूमि विकास बैंक हिण्डौन।

तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत तकास्मा, घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति:- श्री राधारमण शर्मा एडवोकेट (वादी)

श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट प्रतिवादी न0 1 ता 3

निर्णय

दिनांक 07.01.2021

वादी द्वारा दावा बावत तकास्मा स्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार पेश किया कि ग्राम डा की आराजी ख0न0 356/0.04, 357/0.30, 358/0.01, 361/0.36, 390/0.22, 391/0.08, 392/0.06, 392/552/0.12, 393/0.10, कुल कित्ता 9 कुल रकवा 1.29 है0 मे के हिस्से 1/6 का पृथक खाता कायम कराते हुये प्रतिवादीगण को उसके हिस्से की त के कब्जेकाश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करने हेतु पाबन्द किया जावे। दावा स्टर होने के पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा जबाब प्रस्तुत किये जाने के पश्चात बाद दावा प्राथमिक डिक्री कर नायब तहसीलदार बालघाट को बटवारा कमीशनर नियुक्त ग।

नायब तहसीलदार बालघाट से प्राप्त बटवारा स्कीम का वकील, उभयपक्ष ने कर बटवारा स्कीम के अनुसार दावा फाईनल डिक्री करने का कथन किया। वकील

(दुर्गा प्रसाद मीना)

उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम

जिला-करौली

अपक्ष द्वारा बहस के दौरान बटवारा स्कीम को स्वीकार किये जाने पर बटवारा स्कीम के सार दावा फाईनल डिक्री किया जाता है।

अतः वादीगण मीठया, ठण्डी पि० धंधोली हि.ब. जाति कोली को ग्राम बीजलवाडा भूमि ख०न० 361/1 रकवा 0.04, 392 रकवा 0.06, 392/552/1 रकवा 0.06, 393/1 रकवा 0.05 कुल कित्ता 4 कुल रकवा 0.21 है० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की उक्त जीयात के कब्जेकाश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे, नक्शा ट्रेस सलग्न रहेगा। पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2021 को खुले न्यायालय मे लिखवा जाकर



(वर्मा प्रसाद मीना)  
उपजिला अधिवक्ता (डी०पी०)  
उपजिला कार्यालय  
टोडाभीम जिला करौली